A — शिक्षा एवं प्रशिक्षण

सरकारी माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

यह संस्थान क्या है

सरकारी माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एक राज्य-संचालित विद्यालय है जो कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई कराता है, और विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 तथा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। "हाई स्कूल" कक्षा 9-10 तक का होता है; "वरिष्ठ माध्यमिक" या "उच्चतर माध्यमिक" विद्यालय कक्षा 11-12 को विज्ञान, वाणिज्य, और कला/मानविकी संकायों के साथ कवर करता है। कई विद्यालय "संयुक्त" प्रकार के होते हैं, जो एक ही परिसर में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई कराते हैं — विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। ये विद्यालय राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करते हैं और किसी भी जिले में सबसे आम संस्थागत उपस्थिति हैं — वह स्थान जहाँ अधिकांश युवा शिक्षा प्रणाली से पहली बार जुड़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अंतर्गत ये विद्यालय 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना के माध्यमिक चरण (कक्षा 9-12) में आते हैं, जिनमें बहु-विषयक शिक्षण, व्यावसायिक संपर्क, और दक्षता-आधारित मूल्यांकन घोषित सुधार लक्ष्य हैं।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आपने सरकारी प्रणाली से अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो यहीं आपके बोर्ड परिणाम, छात्रवृत्तियाँ, और व्यावसायिक संपर्क होने थे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं जो अभी भी विद्यालय में है, तो यही वह संस्थान है जो उसके अगले कदमों को आकार देता है।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
समग्र शिक्षा अभियान, 2018	एकीकृत योजना जिसने सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), और शिक्षक शिक्षा का स्थान लिया; अवसंरचना, गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा का वित्त-पोषण करती है
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009	सीधे कक्षा 1-8 पर लागू; माध्यमिक विद्यालय आरटीई मानदंडों को बेंचमार्क मानते हैं
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020	संरचनात्मक एवं पाठ्यक्रम सुधार, जिसमें 5+3+3+4 ढाँचा एवं व्यावसायिक एकीकरण शामिल हैं
राज्य बोर्ड संबद्धता नियम	राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम, परीक्षाएँ, और प्रमाणन निर्धारित करता है

- **केंद्र:** शिक्षा मंत्रालय (MoE / DoSEL — स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) → समग्र शिक्षा निधियाँ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से
- **राज्य:** राज्य स्कूल शिक्षा विभाग → राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
- **जिला:** जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS)
- **संस्थान:** प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक
- **संस्थागत निरीक्षण:** प्रत्येक विद्यालय आरटीई और समग्र शिक्षा ढाँचे के अंतर्गत एक विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (School Management Committee (SMC) / School Management and Development Committee (SMDC)) का गठन करता है, जिसमें विद्यार्थियों के माता-पिता और अभिभावक, महिला सदस्य, स्थानीय-प्राधिकरण प्रतिनिधि, शिक्षाविद, और वंचित वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संरचना राज्य आरटीई नियमों का पालन करती है; SMC लेबल का वैधानिक आधार प्रारंभिक कक्षाओं (1-8) के लिए आरटीई में है, जबकि माध्यमिक चरण की व्यवहार-प्रथा SMDC लेबल का प्रयोग करती है, जो RMSA से विरासत में मिला है। यह निकाय विद्यालय विकास योजना (SDP) तैयार करता है और उसकी समीक्षा करता है, और नियमित रूप से बैठक करता है (आरटीई नियमों के अनुसार प्रारंभिक SMC के लिए तिमाही में कम से कम एक बार)। संयुक्त विद्यालय सामान्यतः एक ही एकीकृत SMC/SMDC संचालित करते हैं।
- **वित्त-पोषण:** 60:40 केंद्र:राज्य

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक	शैक्षणिक कार्य, प्रशासन, विद्यालय अनुदान, बोर्ड परीक्षा समन्वय
विषय अध्यापक	राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार सभी संकायों में पढ़ाते हैं
व्यावसायिक प्रशिक्षक	जहाँ समग्र शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा स्वीकृत है, वहाँ राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF)-संरेखित ट्रेड पाठ्यक्रम तथा अनिवार्य रोजगार-योग्यता कौशल मॉड्यूल (संचार, स्व-प्रबंधन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), उद्यमी, हरित कौशल) प्रदान करते हैं
खंड / संकुल संसाधन व्यक्ति (Block Resource Person (BRP) / Cluster Resource Person (CRP))	समग्र शिक्षा के अंतर्गत खंड / संकुल के विद्यालयों को शैक्षणिक सहायता, स्थल-स्थित मार्गदर्शन, एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं
विद्यालय प्रबंधन समिति / SMDC	अभिभावक-समुदाय निकाय जो सुविधाओं और विद्यालय विकास योजनाओं की समीक्षा करता है
संस्थान नोडल अधिकारी (INO)	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर छात्रवृत्ति आवेदनों का L1 सत्यापन करता है

अनिवार्य सेवाएँ

- कक्षा 9-12 के लिए राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम का संचालन, जिसमें दैनिक कक्षाएँ, मूल्यांकन, और बोर्ड परीक्षा समन्वय शामिल हैं
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS), तथा प्रधानमंत्री युवा अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (PM YASASVI) के लिए छात्रवृत्ति आवेदनों की सुविधा
- जहाँ समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत हो, वहाँ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना — NSQF-संरेखित ट्रेड पाठ्यक्रम, अनिवार्य रोजगार-योग्यता कौशल मॉड्यूल, और कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों के लिए प्रति जॉब रोल न्यूनतम 80 घंटे का कार्य-स्थल प्रशिक्षण (OJT) / इंटर्नशिप, जो अवकाशों के दौरान आयोजित होता है (सामान्यतः कक्षा 9-10 में एक जॉब रोल, कक्षा 11-12 में दूसरा)
- व्यावसायिक हब-एंड-स्पोक व्यवस्था — आसपास के विद्यालयों (स्पोक) के विद्यार्थी निर्दिष्ट हब विद्यालय (या जहाँ संभव हो, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) / पॉलिटेक्निक / प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK) हब के रूप में) की कार्यशाला / कौशल-प्रयोगशाला अवसंरचना का NSQF प्रायोगिक कार्य के लिए उपयोग करते हैं; स्पोक विद्यालयों को इस प्रयोजन हेतु प्रति-विद्यार्थी छोटा परिवहन अनुदान मिलता है
- डिजिटल और ICT वितरण — डिजिटल सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दीक्षा (DIKSHA — Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) मंच का उपयोग; जहाँ समग्र शिक्षा के ICT एवं डिजिटल पहल घटक के अंतर्गत स्वीकृत और संचालित हों, वहाँ स्मार्ट क्लासरूम और ICT लैब
- NEP-संरेखित समग्र तत्व (जहाँ लागू हो): विद्यालय वर्ष और अवकाश अवधि के दौरान स्थानीय कारीगरों, उद्योग, ITI और उच्च संस्थानों के साथ व्यावसायिक इंटर्नशिप अवसर (NEP पैरा 4.26 — औपचारिक "10-दिवसीय बैगलेस अवधि" मध्य चरण, कक्षा 6-8 में आती है); ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या व्यावसायिक रुचि के स्थलों पर क्षेत्र भ्रमण; और कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के अंत में NSQF व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विद्यालय-बोर्ड और सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) प्रमाण-पत्र के साथ दक्षता-आधारित बाहरी मूल्यांकन
- पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, और छात्रवृत्तियाँ वितरित करना
- सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ संचालित करना: खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रातःकालीन सभा
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) जागरूकता सत्र और स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों के पुनः-नामांकन अभियान संचालित करना

संबंधित योजनाएँ

- **समग्र शिक्षा अभियान** — अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण, समता, ICT, व्यावसायिक शिक्षा, और विद्यालय अनुदान
- **प्री-मैट्रिक / पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (NSP)** — अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता
- **NMMSS** — कक्षा 9-12 में सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मेधा-सह-साधन छात्रवृत्ति
- **PM YASASVI** — अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) / विमुक्त जनजाति (DNT) विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति
- **पीएम श्री (PM SHRI — प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइज़िंग इंडिया) विद्यालय** — निर्दिष्ट मॉडल विद्यालयों के लिए उन्नत अवसंरचना और डिजिटल संसाधन
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** — लड़कियों के नामांकन की निगरानी और जागरूकता अभियान
- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN — Children with Special Needs) के लिए समग्र शिक्षा (समावेशी शिक्षा) के अंतर्गत सहायता** — प्रति बच्चा प्रति वर्ष ₹3,500 तक, जिसमें सहायता एवं उपकरण, सहायक उपकरण, शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM), चिकित्सीय सेवाएँ, परिवहन / अनुरक्षण और घर-आधारित शिक्षा शामिल हैं, साथ ही दिव्यांग लड़कियों के लिए 10 महीनों तक प्रति माह ₹200 का अतिरिक्त वजीफा, जो प्री-प्राइमरी से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक उपलब्ध है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दिया जाता है
- **परिवहन / अनुरक्षण सुविधा** — समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रति बच्चा प्रति वर्ष ₹6,000 तक (कक्षा X तक) उपलब्ध है, जहाँ माध्यमिक विद्यालय 5 किमी से अधिक दूर है, या विरल जनसंख्या वाली दूरस्थ बस्तियों, कठिन भू-भाग या शहरी-वंचित क्षेत्रों में नया विद्यालय खोलना अव्यवहार्य है। बच्चे को निकटतम सरकारी या स्थानीय-निकाय विद्यालय में जाना अनिवार्य है; भुगतान आधार-लिंक्ड खाते में DBT द्वारा होता है, और उपस्थिति से जुड़ा रहता है

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: udiseplus.gov.in — राज्य, जिला, विद्यालय का नाम, या पिन कोड से खोज करें और पूर्ण विद्यालय प्रोफाइल देखें

इसके अलावा: खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला शिक्षा अधिकारी (DEO/DIOS) से खंड के माध्यमिक विद्यालयों की पूरी सूची पूछें

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील सरकारी माध्यमिक विद्यालय में होनी चाहिए: प्रत्येक अनुभाग के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और हवादार कक्षाएँ (छात्र-शिक्षक अनुपात 1:30), भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के लिए अलग-अलग विज्ञान प्रयोगशालाएँ, कम से कम 10 इंटरनेट-कनेक्टेड कंप्यूटरों वाली एक ICT लैब, एक पुस्तकालय, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग कार्यशील शौचालय ब्लॉक, सुरक्षित पीने का पानी, बिजली, चहारदीवारी, और एक खेल का मैदान।

एक क्रियाशील सरकारी माध्यमिक विद्यालय कैसा दिखता है

- कक्षाएँ निर्धारित समय पर चल रही हैं और विषय अध्यापक कक्षाओं में उपस्थित हैं
- विज्ञान और कंप्यूटर लैब में नियमित विद्यार्थी उपयोग के लक्षण दिखते हैं
- वर्तमान चक्र के छात्रवृत्ति आवेदन संस्थान नोडल अधिकारी (INO) द्वारा संसाधित और अग्रेषित किए जा चुके हैं
- पिछले दो वर्षों के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत अनुरोध पर उपलब्ध हैं
- विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की पिछली तिमाही में बैठक हुई है, जिसमें कार्यवृत्त और अभिभावकों की उपस्थिति दर्ज है
- इस शैक्षणिक वर्ष में पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और गणवेश वितरित किए जा चुके हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक है। शिक्षक अनुपस्थिति, पाठ्यपुस्तक वितरण न होने, छात्रवृत्ति प्रसंस्करण में देरी, या समग्र शिक्षा अधिकारों के क्रियान्वयन न होने से जुड़े मामले पहले यहीं उठाए जाते हैं।

सेवा के बाद। अनसुलझे मामले खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और फिर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO / DIOS) तक बढ़ाए जाते हैं। माता-पिता और विद्यार्थी मामलों को विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC/SMDC) में उठा सकते हैं, जिसकी तिमाही बैठकें आरटीई नियमों के अंतर्गत एक औपचारिक निवारण मंच हैं।

बाहरी। शिक्षा मंत्रालय pgportal.gov.in पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) का संचालन करता है। राज्य-विशिष्ट पोर्टल (जैसे, समग्र शिक्षा राज्य शिकायत प्रणालियाँ) विद्यालय-स्तरीय शिकायतें स्वीकार करते हैं। आरटीई उल्लंघन राज्य बाल

अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) तक बढ़ाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के पास आरटीई की धारा 31 के अंतर्गत अंतिम क्षेत्राधिकार है।